FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :– जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुख्य शाखा पाली जरिये प्राधिकृत अधिकारी		1. श्री जय प्रकाश राठौड़ पुत्र श्री रहींग राम राठौड़, 115 रजत नगर, रामदेव रोड़ पाली जिला पाली (राज.) 2. श्रीमती पिंकी देवी पत्नी श्री जय प्रकाश राठौड़, 115 रजत नगर, रामदेव रोड़ पाली जिला पाली (राज.) 3. श्री लक्ष्मण राम पुत्र श्री रहींग राम, 115 रजत नगर, रामदेव रोड़ पाली जिला पाली (राज.)

किस्म मुकदमा :: विविध 163/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :: 2022/526

धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act 2002

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.22	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया हैं, जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 07.10.2022 को पेश हो। जिला मजिस्ट्रेट, पाली	
07/10/2022	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने दि० 21.09.2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर पत्रावली को आगे नहीं चलाकर जरिए Notpress खारिज करवाना चाहते हैं। अतः पत्रावली जरिए Notpress खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट, पाली	Notpress AC 21/9/2022 (Ad. Bhanupreekashji Mishra)